न्यायालय जिला कलक्टर डीडवाना–कुचामन
पीठासीन अधिकारी–श्री पुखराज सेन, आई.ए.एस.

निगरानी संख्या– 31/2023
जी.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर 2023/210

निगरारीकार	बनाम	गैरनिगरानीकार
रामस्वरूप पुत्र स्व0 श्री गणपतलाल जाति ब्राहम्ण निवासी मानपूरा उपतहसील पीलवा तहसील परबतसर जिला डीडवाना–कुचामन।		1. कमल किशोर पुत्र स्व0 गणपतलाल जाति ब्राहम्ण निवासी मानपूरा उपतहसील पीलवा तहसील परबतसर जिला डीडवाना–कुचामन। 2. सत्यनारायण पुत्र स्व0 गणपतलाल 3. पवन पुत्र स्व0 राधेश्याम 4. ज्योति पुत्री स्व0 राधेश्याम 5. संगीता पुत्री स्व0 राधेश्याम 6. पूजा पुत्री स्व0 राधेश्याम 7. बसन्ती पत्नि स्व0 राधेश्याम 8. जमनादेवी पत्नि स्व0 गणपतलाल समस्त जाति ब्राहम्ण निवासीगण मानपूरा उपतहसील पीलवा तहसील परबतसर जिला डीडवाना–कुचामन। 9. सरपंच, ग्राम पंचायत, कुण्डरी उपतहसील पीलवा तहसील परबतसर 10. ग्राम सेवक/पदेन सचिव, ग्राम पंचायत, कुण्डरी उपतहसील पीलवा तहसील परबतसर जिला डीडवाना–कुचमान।

अपील अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती एक्ट वास्ते निरस्त करने पट्टा संख्या 43/2017 व संकल्प संख्या 03/05/07/2017 दिनांक 20.09.2017 ग्राम पंचायत, कुण्डरी

उपस्थितः–
1. श्री सिकन्दर खां वकील निगरानीकार की ओर से।

:–निर्णय–:

दिनांकः 13.01.2025

अपील के संक्षेप्त में तथ्य इस प्रकार है किः–

1. अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ता 08 स्व0 गणपतलाल विधिक उत्तराधिकारी व वारिसान है, जिनकी वंशावली निम्न प्रकार है:–

Signature Not Verified
Digitally signed by Pukhraj Sen
Date: 2025.01.22 10:43:39 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

जिला कलक्टर डीडवाना–कुचामन

गणपतलाल

रामस्वरूप	राधेश्याम (फौत)	कमल किशोर	सत्यनारायण	जमनादेवी

राधेश्याम (फौत)

पवन (पुत्र)	संगीता (पुत्री)	ज्योति (पुत्री)	पूजा (पुत्री)	बसन्ती (पत्नी)

2. ग्राम मानपुरा के आबादी में एक आवासीय पुराना बना हुआ मकान मय थाला व बाड़ा जो अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ता 08 के पिता स्व0 गणपतलाल ने अपने भतीले विजयराज पुत्र श्री अमरचन्द जाति ब्राहम्ण निवासी मानपुरा से जरिये ईकरारनामा दिनांक 14.06.2004 जरिये सप्रतिफल राशि रू0 1,00,000/– रूपये में क्रय करके कब्जा प्राप्त किया था तथा उपरोक्त आवासीय मकान व बाड़ा पर स्व0 गणपतलाल के वारिसान का तब से ही शामलाती कब्जा रहा है तथा उक्त आवासीय मकान के चिपता ही पूर्व दिशा में अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ता 08 का पैत्रिक मकान अवस्थित है। उपरोक्त आवासीय मकान व थला कि पड़ोस निम्नलिखित हैः–

उत्तर :– मन्दिर के कुऐं की जमीन
दक्षिण :– आम रास्ता
पूर्व :– अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ता 08 की पैत्रिक मकान
पश्चिम :– हैण्ड पम्प व पुनाराम हरिजन का मकान

3. अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ता 08 ही पिता स्व0 गणपतलाल के वारिसान है तथा सभी का उपरोक्त क्रय सुदा आवासीय मकान मय थाला पर शामलाती कब्जा रहा है। जिसकी प्रत्येक हर इंच भूमि पर अपीलार्थी व रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ता 08 का हक अधिकार व स्वामित्व रहा है तथा अपीलान्ट संख्या 01 रामस्वरूप खाने कमाने हेतु पिछले 7–8 वर्षो से अजमेर में रहता है तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 02 सत्यनारायण कमाने खाने के लिए पिछले 8–9 वर्षो से सुरत में रहता है तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 03 ता 07 भी कमाने खाने के लिए वर्तमान में खेडुली जिला नागौर में रहते है।

4. रेस्पोडेन्ट संख्या 01 कमल किशोर एक होशियार व चतुर व्यक्ति है तथा वह गांव में पैत्रिक आवासीय भूमि में दुकान चलाता है तथा वह ग्राम मानपुरा में ही रहता है तथा अपीलान्ट समय समय पर अपने ग्राम मानपुरा आता जाता रहता है तथा अपनी पैत्रिक भूमि की सार सम्भाल करते रहते है तथा अपीलान्ट ने अपने सभी सन्तानों का शादी विवाह भी ग्राम मानपुरा में ही सम्पन्न किया गया था।

5. रेस्पोडेन्ट संख्या 01 कमल किशोर ने ग्राम पंचायत कुण्डली से मिलीभगत कर अपीलान्ट के पिता के द्वारा खरीद सुदा भूमि को गलत रूप से अपने अकेले की कब्जा सुदा बता कर गलत रूप से फर्जी पट्टा संख्या 43 दिनांक 20.09.2017 को बनवा लिया। अपीलान्ट के पूर्वजों की जमीन भी ग्राम पंचायत के नाम की नहीं थी। पट्टा ग्राम पंचायत ने कमल किशोर के नाम बनाया है, जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट की ओर से यह अपील पट्टा निरस्त करने की आ[illegible] करते है। जिसके आधार निम्नलिखित हैः–

Signature Not Verified
Digitally signed by Pukhraj Sen
Date: 2025.01.22 10:43:39 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

जिला कलक्टर डीडवाना–कुचामन सत्यमेव जयते

:–अपील के आधार–:

1. योग्य अधिनस्थ न्यायालय ने आदेश अधिन अपील पारित करने में कानूनी एवम् वाक्याती भूल की है, अतः आदेश अधिन अपील अपास्त किये जाने योग्य हैं।
2. योग्य अधिनस्थ न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के विपरीत आदेश अधिन अपील पारित करने में कानूनी एवम् वाक्याती भूल की है, अतः आदेश अधिन अपील अपास्त किये जाने योग्य हैं।
3. योग्य अधिनस्थ न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के विपरीत न्याय के सामान्य सिद्धान्तों की अवहेलना करते हुए आदेश अधिन अपील पारित करने में घोर त्रृटि की है, अतः आदेश अधिन अपील अपास्त किये जाने योग्य हैं।
4. ग्राम पंचायत कुण्डरी ने राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996 के प्रारूप 23 (2) नियम 157 (1) के तहत उक्त पट्टा संख्या 43 दिनांक 20.09.2017 को जारी किया है, जिसमें ग्राम पंचायत ने पंचायत अधिनियम के नियमों व सिद्धान्तों की खुलम खुला अवहेलना करते हुये उक्त पट्टा जारी किया गया है। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत ने उक्त पट्टा में वर्णित शर्त संख्या 01 में यह उल्लेखित किया है कि **" पूर्वोक्त आवंटिती का पचास वर्ष से अधिक से पुराने घर पर कब्जा है।"** उक्त शर्त की कोई पालना नहीं हुई, क्योंकि जिस कमल किशोर के पक्ष में पट्टा जारी किया गया है, उसकी उम्र आज भी मात्र 45 वर्ष ही है, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि ग्राम पंचायत ने पंचायत नियमों की अवहेलना करते हुये रेस्पोडेन्ट संख्या 01 को गलत फायदा पहुँचाने की नियत से प्रलोभन में आकर यह पट्टा जारी किया गया है, जिससे भी यह पट्टा प्रथम दृष्टया ही निरस्त किये जाने योग्य है।
5. उपरोक्त पट्टा में वर्णित आासीय भूमि अपीलान्ट व रेसपोडेन्ट के पिता गणतपत लाल ने अपने सगे भतीजे अमरचन्द से उपरोक्त आवासीय भूमि मय पुराने मकान दिनांक 14.06.2004 को जरिये प्रतिफल एक लाख रूवये में क्रय करके उसी दिवस कब्जा प्राप्त किया था, जिससे उपरोक्त आवासीय भूमि पर अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 01 का बराबर–बराबर हक, अधिकार, हिस्सा व कब्जा रहा है, जिसकी ग्राम पंचायत ने अनदखी करते हुये उपरोक्त जारी किया गया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है।
6. रेस्पोडेन्ट संख्या 01 कमल किशोर को यह पूर्ण रूप से ज्ञान था कि उपरोक्त आवासीय जायगा मय मकान उनके पिता गणतनलाल द्वारा विजयराज शर्मा से खरीद सुदा है, फिर भी उसने इस बात को छुपाते हुये ग्राम पंचायत से मिलीभगत कर उपरोक्त विवादित पट्टा जारी करवाया है, जो कि निरस्त किये जाने योग्य है।
7. उपरोक्त आवासीय जायगा व मकान अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के पिता की दिपांक 14.06.2004 को विजयराज से खरीद सुदा भूमि है, इसका ज्ञान ग्राम पंचायत रेस्पोडेन्ट संख्या 09 को भी रहा है, क्योंकि जिस वक्त उक्त उपरोक्त आवासीय जायगा मय मकान का ईकरारनामा निष्पादित किया गया था, उस पर तत्कालीन सरपंच बंकटलाल शर्मा ग्राम पंचायत दादोता ने भी उक्त ईकरारनामा को मय कार्यालय सील के अपने हस्ताक्षर करके प्रमाणित किया गया है, जिसकी अनदेखी करते हुये

Signature Not Verified
Digitally signed by Pukhraj Sen
Date: 2025.01.22 10:43:39 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

कलक्टर डीडवाना–कुचामन

ग्राम पंचायत कुण्डरी ने यह फर्जी पट्टा जारी किया गया है, जो कि निरस्त किये जाने योग्य है।

8. अभी हाल ही में द्वितीय सप्ताह मार्च महिने में अपीलार्थी रामस्वरूप व उसका लड़का दामोदर अपने गांव मानपुरा मे अवस्थित अपनी पैत्रिक जायगा को सम्भालने के लिए आया तब रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने कहा की उपरोक्त सम्पत्ति तो मेरी अकेले की है, आप स्व0 गणपतलाल जी वारिसान इसमें कोई लेना–देना नहीं है तथा रेस्पोडेन्ट ने कहा की मैने सारी आवासीय जायदाद का अपने स्वयं व दोनों पुत्रों व मेरी पत्नी के नाम पट्टा ग्राम पंचायत कुण्डरी से जारी करवा लिया है, अब तुम्हारा इस जायदाद में कोई हक अधिकार शेष नहीं रहा है, तब अपीलार्थी ने ग्राम पंचायत में पता किया तथा उक्त पट्टों की उपपंजीयक, पीलवा से दिनांक 13.08.2020 को प्रमाणित नकल प्राप्त की, तब इस फर्जी पट्टे का प्रथम बार ज्ञान हुआ, जिससे यह अपील अन्दर मयाद पेश हैं।

अतः अपील अपीलान्ट पेश कर सादर नम्र निवेदन है कि अपीलान्ट की अपील स्वीकार का पट्टा संख्या 43/2017 व संकल्प संख्या 03/05/07/2017 दिनांक 20.09.2017 ग्राम पंचायत, कुण्डरी को निरस्त करने का आदेश फरमावें।

वकील रेस्पोडेन्ट को बहस हेतु कई अवसर दिये गये। वकील रेस्पोडेन्ट को कई अवसर देने के बावजुद न्यायालय में अनुपस्थित रहने के कारण इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वकील अपीलान्ट की बहस सुनी गई। वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में निवेदन किया कि ग्राम पंचायत कुण्डरी द्वारा उक्त पट्टा नियम विरूद्ध जारी किया है। अतः पट्टा सं0 40/2017 दिनांक 20.09.2017 को निरस्त किये जाने के आदेश प्रदान करावें।

बहस के तर्को पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन किया।

निगरानीकार ने पट्टे के लिए आवेदन नियम 157(1) के तहत पेश किया है। राजस्थान पंचायतीराज नियम 157(1) के तहत प्रावधान है कि **"पुराने गृहों का विनियमितीकरणः–** जहां व्यक्ति आबादी भूमि में पुराने गृह का कब्जा रखते है और पट्टा जारी कराये जाने के इच्छुक है वहां उन्हे निम्नलिखित प्रभार निक्षिप्त कराने के पश्चात प्रारूप 23–क में पंचायत द्वारा पट्टा जारी किया जा सकेगा।

ग्राम पंचायत द्वारा पट्टे से संबंधित सम्पूर्ण कार्यवाही नियम 145 व नियम 146(2) व नियम 146(3) के तहत की गई है। नियम 145(1) में प्रावधान है कि **क्रय के लिए आवेदन :–"** पंचायत से कोई भी आबादी भूमि/छूटा हुआ भूखण्ड या भूमि की कोई पट्टी खरीदने का इच्छुक कोई व्यक्ति पंचायत को लिखित आवेदन, उसमें उसका ऐसा विवरण देते हुए करेगा, जो क्रय के लिए प्रस्तावित भूमि की पहचान के लिए पर्याप्त हो।" पत्रावली में एक ईकरारनामा कि एक फोटो प्रति संलग्न है। जिसके अनुसार पट्टे के लिए आवेदनकर्ता कमल किशोर ने विजयराज से जरिये इकरारनामा रहवासी मकान खरीदा है। इस रहवासी मकान के जो पडौस दिये गये है तथा पंचायत द्वारा जारी पट्टे में जो पडौस दिये गयें है वह अलग–अलग है। ऐसी स्थिति में आवेदक को जारी पट्टा उसके द्वारा जारी ईकरारनामें के आधार पर पुश्तैनी का जारी किया गया है यह स्पष्ट नहीं है। इस संबंध में पंचातय द्वारा अपनाई

Signature Not Verified
Digitally signed by Pukhraj Sen
Date: 2025.01.22 10:43:39 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

जिला कलक्टर डीडवाना–कुचामन सत्यमेव जयते

गई पट्टा कार्यवाही में कहीं भी स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है। साथ ही प्रस्तुत ईकरारनामा को पूर्ण मुद्रांकित करने की कार्यवाही भी पंचायत द्वारा अमल में नहीं लाई गई है। अतः पंचायत द्वारा की गई कार्यवाही बहाल रखी जाने योग्य नहीं पाई जाती है।

अतः निगरानीकार की निगरानी स्वीकार कर प्रकरण ग्राम पंचायत को प्रेतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण की पुनः जांच कर नियमानुसार कार्यवाही करें।

आदेश आज दिनांक 13.01.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

जिला कलक्टर डीडवाना–कुचामन सत्यमेव जयते

(पुखराज सेन, IAS)
जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन
जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

Signature Not Verified

Digitally signed by Pukhraj Sen
Date: 2025.01.22 10:43:39 IST
Reason: SelfAttested